"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 488 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 सितम्बर 2014—भाद्र 20, शक 1936

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2014

### अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का 65) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | माननीय श्री न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा<br>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. | - | अध्यक्ष |
| 2. | माननीय श्री न्यायमूर्ति टी. पी. शर्मा<br>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. | - | सदस्य |
| 3. | माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर<br>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. | - | सदस्य |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. के. माथुर,** उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, दिनांक 11-09-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. के. माथुर,** उप-सचिव.

Raipur, the 11th September 2014

NOTIFICATION

No. F-4-72/TWO/Home-c/2007.— In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980) and in supersession of all previous Notifications of this department, the State Government, hereby, constitues an Advisory Board consisting of following members, namely :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hon'ble Shri Justice Navin Sinha<br>High Court of Chhattisgarh, Bilaspur. | - | Chairman |
| 2. | Hon'ble Shri Justice T. P. Sharma<br>High Court of Chhattisgarh, Bilaspur. | - | Member |
| 3. | Hon'ble Shri Justice Pritinker Diwakar<br>High Court of Chhattisgarh, Bilaspur. | - | Member |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2014

## अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | माननीय श्री न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा<br>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. | - | अध्यक्ष |
| 2. | माननीय श्री न्यायमूर्ति टी. पी. शर्मा<br>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. | - | सदस्य |
| 3. | माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर<br>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. | - | सदस्य |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. के. माथुर,** उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, दिनांक 11-09-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. के. माथुर,** उप-सचिव.

Raipur, the 11th September 2014

NOTIFICATION

No. F-4-72/TWO/Home-c/2007.— In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Black-marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (No. 7 of 1980) and in supersession of all previous Notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of following members, namely :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hon'ble Shri Justice Navin Sinha<br>High Court of Chhattisgarh, Bilaspur. | - | Chairman |
| 2. | Hon'ble Shri Justice T. P. Sharma<br>High Court of Chhattisgarh, Bilaspur. | - | Member |
| 3. | Hon'ble Shri Justice Pritinker Diwakar<br>High Court of Chhattisgarh, Bilaspur. | - | Member |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2014

## अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (2006 का 14) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | माननीय श्री न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा<br>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. | - | अध्यक्ष |
| 2. | माननीय श्री न्यायमूर्ति टी. पी. शर्मा<br>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. | - | सदस्य |
| 3. | माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर<br>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. | - | सदस्य |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. के. माथुर,** उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, दिनांक 11-09-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. के. माथुर,** उप-सचिव.

Raipur, the 11th September 2014

NOTIFICATION

No. F-4-72/TWO/Home-c/2007.— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Chhattisgarh Vishesh Jan Suraksha Act, 2005 (No. 14 of 2006) and in supersession of all previous Notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of following members, namely :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hon'ble Shri Justice Navin Sinha<br>High Court of Chhattisgarh, Bilaspur. | - | Chairman |
| 2. | Hon'ble Shri Justice T. P. Sharma<br>High Court of Chhattisgarh, Bilaspur. | - | Member |
| 3. | Hon'ble Shri Justice Pritinker Diwakar<br>High Court of Chhattisgarh, Bilaspur. | - | Member |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.